रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13, 1939
No. 591] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 825(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में पैरा चिकित्सा काडर, समूह 'ग' पद, के पदों पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा काडर, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होनाः– ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तरः– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदिः– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताः– वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यताः– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वह व्यक्ति जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, चिकित्सा पुस्तिका खण्ड–III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–i में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति सहित प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

7. भारत के गैर नागरिकों की अपात्रताः– कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा;

परन्तु इन नियमों की कोई बात नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवार्षिताः– (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगा;

परंतु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन मे सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्ति के लिए विहित आयु के परे सेवा विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्तिः– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृत्तिः– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक उप–निरीक्षक (भौतिक चिकित्साविद्)	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक का स्तर–5 (रु0 29200–92300)	लागू नही होता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।				
(6)				
18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणः आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वी परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ; और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से भौतिक चिकित्सा विज्ञान में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भारः चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पणः महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियों के मामलें में विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंडः
(क) दृष्टिः– बिना सुधार, (अर्थात् बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनों आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढी हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वाराः टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुटटी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक का स्तर–4 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	
(11)	
लागू नहीं होता।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट,भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक उप–निरीक्षक (ई0सी0जी0 तकनीशियन)	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–5 (रु0 29200–92300)	लागू नही होता।
(6)				
18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणः आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)				

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएंः (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वी परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ई0सी0जी0 टैक्नीशियन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने	165 से0मी0	155 से0मी0

वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।		
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भारः चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पणः महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियों के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंडः

(क) दृष्टिः बिना सुधार (अर्थात् बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनों आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वाराः

(क) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों में सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी:-

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–4 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक उप–निरीक्षक (ओ0टी0 तकनीशियन)	05* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–5 (रू0 29200–92300)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणः आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान सहित 12वी परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपरेशन थियेटर तकनिशियन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :
(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनों आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :
(क) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों में सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी; और
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–4 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए :– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)</u>
सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख में उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. सहायक उप–निरीक्षक (केन्द्रीय बंध्याकरण कक्ष तकनीशियन)	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–5 (रू0 29200–92300)	लागू नही होता।

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	पदोन्नति द्वारा।

(11)

पदोन्नति द्वारा :

ऐसे हैड कांस्टेबल (केन्द्रीय बंध्याकरण कक्ष तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–4 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठयक्रम या पाठयक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1: जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. हैड कांस्टेबल (सी0 एस0 आर0 सहायक)	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–4 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान सहित 12वी परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या अस्पताल से केन्द्रीय बन्धयाकरण कक्ष सहायक में प्रमाण पत्र।	लागू नहीं होता।

2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुटटी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियो मे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक का स्तर–3 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(11)	
लागू नहीं होता।	
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. सहायक उप–निरीक्षक (दंत तकनीशियन)	03* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–5 (रू0 29200–92300)	लागू नही होता।

(6)
18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वी परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्यय और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से दंत तकनीशियन में दो वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0

शिथिलीकरण:		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भारः चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पणः महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टिः बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :—

(क) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी; और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल—4 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिको के लिए :— (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख में उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः— 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

3. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. हैड कांस्टेबल (कनिष्ठ एक्स–रे सहायक)	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–4 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणः आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्यय और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विकिरण–चित्रण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र ।	लागू नहीं होता।

2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप। टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है। 3. चिकित्सा मानदंड : (क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए। (ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो। 4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।	

(9)	(10)
दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वाराः टिप्पणः पदाधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुटटी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियो मे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक का स्तर–3 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

(11)	
लागू नहीं होता।	
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. हैड कांस्टेबल (बिजली मिस्त्री)	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–4 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)	
18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणः आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	
(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वी परीक्षा उर्त्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में, सक्षमता प्रमाण पत्र सहित, सरकारी पॉलिटेक्निक या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से को अधिमानता दी जाएगी, इलैक्ट्रिशियन व्यवसाय में प्रमाण पत्र।	लागू नहीं होता।

2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0

शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :–

(क) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी; और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–3 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित

किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिको के लिए :— (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. उप महानिरीक्षक — अध्यक्ष भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 2. कमांडेंट (इंजीनियर) — सदस्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 3. उप कमांडेंट (इंजीनियर) — सदस्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. हैड कांस्टेबल (ए0सी0 संयंत्र तकनीशियन)	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर—4 (रू0 25500—81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण:— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वी परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से रेफ्रिजेरेशन और एयर कंडिशनर में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरण:		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू—कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0

यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :
(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :–
(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी; और
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–3 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

<u>भूतपूर्व सैनिको के लिए :– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)</u>

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. उप महानिरीक्षक (इंजीनियर) या उप महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. कमांडेंट (इंजीनियर) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. उप कमांडेंट (इंजीनियर) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. हैड कांस्टेबल (स्टूवर्ड)	04* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर—4 (रू0 25500—81100)	लागू नही होता

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण:— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

1. शैक्षिक अर्हताएं :

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वी परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से खान—पान और रसोई प्रबंधन या होटल प्रबंधन या आतिथ्य प्रबंधन मे डिप्लोमा या प्रमाण पत्र।

2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरण:		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू—कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	

(8)

लागू नहीं होता।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :–

(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–3 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की होय और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

<u>भूतपूर्व सैनिको के लिए :– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)</u>

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. कांस्टेबल (ड्रेसर)	03* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–3 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणः– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) अस्पताल या क्लिनिक में ड्रेसर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दिशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दिशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप। टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है। 3. चिकित्सा मानदंड : (क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए। (ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो। 4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।	

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :–

(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की होय और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

<u>भूतपूर्व सैनिको के लिए :– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)</u>

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैय तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (एक वरिष्ठ सब–आर्डिनेट/गैर कमीशन प्राप्त ऑफिसर (मेडिक) व्यवहार निर्धारण के लिए सहयोजित होना चाहिए)	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. कांस्टेबल (वस्त्र रखने वाला)	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–3 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण:– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) वस्त्र कार्य मे किसी अस्पताल या अन्य संगठन में वस्त्र रखने मे एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :— अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दिशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू—कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा :— (क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिको के लिए :– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैय तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. कांस्टेबल (टेलिफोन आपरेटर–सह–स्वागतकर्ता)	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–3 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण:– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ख) टेलिफोन तार बिछाने के कार्यसाधक ज्ञान सहित किसी कार्यालय या अस्पताल में जिसमें कम से कम 50 लाइन पी बी एक्स प्रणाली का टेलिफोन एक्सचैंज हो, में टेलिफोन आपरेटर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दिशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :– अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के	लागू नहीं होता।

अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :–

(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की होय और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिको के लिए :– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैय तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. कमांडेंट – अध्यक्ष भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 2. उप कमांडेंट – सदस्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 3. सहायक कमांडेंट – सदस्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (टेलीकम कॉडर से एक ज्येष्ठ सब–आर्डिनेट/गैर कमीशन प्राप्त ऑफिसर सहयोजित सदस्य के रूप में सहायता करेगा)	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. कांस्टेबल (मसालची)	10* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–3 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण:– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्यय और (ख) किसी विख्यात होटल या रक्षा मेस सेवाएं या भारत तिब्बत सीमा पुलिस ऑफिसर मैस मे रसोई हेल्पर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :– अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरण:		

गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :–

(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल–2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की होय और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को,

उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिको के लिए :– (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैय तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. कांस्टेबल (चपरासी)	14* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–3 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणः– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :– अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0

यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :—

(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल—2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की होय और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

<u>भूतपूर्व सैनिको के लिए :— (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)</u>

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैय तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट – अध्यक्ष भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 2. उप कमांडेंट – सदस्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 3. सहायक कमांडेंट – सदस्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. कांस्टेबल (टेबल बॉय)	04* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–3 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणः– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्यय (ख) रक्षा मेस सेवाएं या भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिकारी मेस या किसी होटल या रेस्टोरेंट में मेज बिछाना, मेज को साफ करना और खाना तथा पानी देने में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :– अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :—

(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल—2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की होय और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिको के लिए :— (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैय तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कांस्टेबल (वार्ड बाय/गर्ल/आया)	14* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–3 (रू0 25500–81100)	लागू नही होता।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणः– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)
1. शैक्षिक अर्हताएं : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्यय (ख) अस्पताल, सरकारी अस्पताल की अधिमानता से अनुभव का प्रमाण पत्र। टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :– अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। 2. पुरूष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड	लागू नहीं होता।

(अ) ऊंचाई	पुरूष के लिए	महिला के लिए
सामान्य	170 से0मी0	157 से0मी0
शिथिलीकरणः		
गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीर तथा लेह और लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थी।	165 से0मी0	155 से0मी0
उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	152.5 से0मी0
यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	160 से0मी0	147.5 से0मी0

यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5 से0मी0	150 से0मी0

(ब) सीना	पुरूष के लिए		महिला के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 से0मी0	85 से0मी0	लागू नहीं होता।
उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पहाडी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78 से0मी0	83 से0मी0	
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति।	76 से0मी0	81 से0मी0	
उत्तर पूर्वी राज्यों के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी।	77 से0मी0	82 से0मी0	

(स) भार : चिकित्सा मानदंड के अनुसार उंचाई और आयु के तदनुरूप।

टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों को लेखबद्ध किया जाये, योग्य अधिकारियो के मामलें मे विशेष छूट के रूप में शारीरिक मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

3. चिकित्सा मानदंड :

(क) दृष्टि : बिना सुधार (अर्थात बिना चश्मा पहने) न्यूनतम दोनो आंखों की दूरी दृष्यता 6/6 और 6/9 के योग्य होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढीं हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन मे व्यवधान की संभावना हो।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :—

(क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो मे सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीय और

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के लेवल—2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की होय और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

<u>भूतपूर्व सैनिको के लिए :— (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)</u>

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख मे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैय तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. जयेष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं.–I–12022/02/2014–संगठन]

आर. बी. एस. नेगी, उप–निदेशक (कार्मिक–II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2017

G.S.R. 825(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub–section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Para Medical cadre, Group 'C' posts in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, Classification and Level in the Pay Matrix.- The number of said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Manual Volume-III, shall be

eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

7. Ineligibility of non-citizens of India.- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation. - (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of fifty-seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Sub-Inspector (Physiotherapist)	02* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 5 (Rs. 29200-92300) in the PAY MATRIX	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed 12th examination or equivalent from a recognized board or University; and (ii) Diploma or certificate in physiotherapy from an institution recognised by the Central or the State Government. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years.	By direct recruitment. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government- (a) i) holding analogous posts on regular basis, and ii) with five years regular service in level 4 in the pay matrix, and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/absorption is to be made.	
(11)	
Not applicable.	
If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Sub-Inspector (ECG Technician)	02* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 5 (Rs. 29200-92300) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)
Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed 12th examination or equivalent from a recognized board or University; and (ii) Diploma or certificate in ECG Technician from an institution recognised by the Central Government or the State Government. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)
By deputation: (a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union Territories holding analogous posts; or (ii) with five years regular service in level 4 in the pay matrix; and

(b) Possessing requisite experience and qualifications as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Sub-Inspector (OT Technician)	05* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 5 (Rs. 29200-92300) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed 12th examination or equivalent with Science from a recognized board or University; and (ii) Diploma or certificate in Operation Theatre Technician from an institution recognised by the Central Government or the State Government. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North-Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union Territories holding analogous post; or
(ii) with five years regular service in level 4 in the pay matrix- ; and

(b) Possessing requisite experience and qualifications as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Assistant Sub-Inspector (Central Sterilization Room Technician)	01* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 5 (Rs. 29200-92300) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)
Not applicable.

(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)
Not applicable.	By promotion.

(11)

By Promotion:

From amongst Head Constable (Central Sterilization Room Assistant) who have rendered five years regular service in level-4 of pay matrix and have successfully completed pre–promotional course or courses as prescribed.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher pay matrix level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the commission.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Head Constable (CSR Assistant)	01* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 4 (Rs. 25500-81100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed 12th examination or equivalent with Science from a recognized board or University; and (ii) Certificate in Central Sterilization Room Assistant from an institution or hospital recognised by the Central Government or the State Government. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	For Male		For Female
	Unexpanded	Expanded	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	**By direct recruitment** **Note-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government- (a) i) holding analogous posts on regular basis; and ii) with five years regular service in level 3 in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Assistant Sub-Inspector (Dental Technician)	03* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 5 (Rs. 29200-92300) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)

1. Educational qualifications:

(i) Passed 12th examination or equivalent from a recognized board or University; and
(ii) Two years diploma as Dental Technician from an institution recognised by the Central Government or the State Government.

2. Physical Standard for male and female:

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

(8)

Not applicable.

3. Medical Standards: **(a) Vision**: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses). (b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties. 4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.	

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or
(ii) with five years regular service in level 4 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Head Constable (Junior X-Ray Assistant)	02* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 4 (Rs. 25500-81100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)

1. Educational qualifications:

(i) Passed 12th examination or equivalent from a recognized board or University; and
(ii) Diploma or certificate in Radiography from an institution recognised by the Central Government or the State Government.

2. Physical Standard for male and female:

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories.	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(8)

Not applicable.

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties. 4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.	
(9)	(10)
Two years.	By direct recruitment Note- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government- (a) i) holding analogous posts on regular basis; and ii) with five years regular service in level 3 in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).
(11)	
Not applicable.	
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Medical officer or Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Head Constable (Electrician)	02* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 4 (Rs. 25500-81100) in the PAY MATRIX	Not applicable.
(6)				
Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).				
(7)				(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed 12th examination or equivalent from a recognized board or University; and (ii) Certificate in Electrician Trade from an institution recognised by the Central				Not applicable.

Government or the State Government preferably from Government Polytechnic or Industrial Training Institute with certificate of Competency.

2. Physical Standard for male and female:

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or

(ii) with five years regular service in level 3 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General - Chairman, Indo-Tibetan Border Police Force 2. Commandant (Engineer) - Member, Indo-Tibetan Border Police Force 3. Deputy Commandant (Engineer) - Member, Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Head Constable (AC Plant Technician).	01* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 4 (Rs. 25500-81100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (j) Passed 12th examination or equivalent from a recognized board or University and; and (ii) Diploma or certificate in refrigeration and air-conditioner from Industrial Training Institute or from an institution recognised by the Central Government or the State Government.	Not applicable.

2. Physical Standard for male and female:

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories.	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)
By deputation: (a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or (ii) with five years regular service in level 3 in the pay matrix; and (b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Engineer) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Commandant (Engineer) Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Deputy Commandant (Engineer) Indo-Tibetan Border Police Force - Member,	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Head Constable (Steward)	04* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL 4 (Rs. 25500-81100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed 12th examination or equivalent from a recognized board or University and; (ii) Diploma or certificate in catering and kitchen management or hotel management or hospitality management from an institution recognised by the Central Government or the State Government. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the	165 cms	155 cms

State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.		
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories.	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or

(ii) with five years regular service in level 3 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Constable (Dresser)	03* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL -3 (Rs. 21700-69100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed Matriculation (10th) examination or equivalent from a recognised board or equivalent ; and (ii) One year experience as dresser in hospital or clinic Note.1- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate, otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms

All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories.	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or

(ii) with three years regular service in level 2 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Medical Officer or Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member (A senior Sub-Ordinate/Non-Commissioned Officer (Medic) should be co-opted for practical assessment).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Constable (Linen Keeper)	01* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL -3 (Rs. 21700-69100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed Matriculation (10th) examination or equivalent with Science from a recognised board or equivalent ; and (ii) One year's experience in handling of Linen in a Hospital or other organization dealing in Linen. Note.1- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate, otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms

All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories.	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)
By deputation: (a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or (ii) with three years regular service in level 2 in the pay matrix; and (b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application. **Note 3.-** For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission. For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment) The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Medical Officer or Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Constable (Telephone Operator cum Receptionist)	02* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL -3 (Rs. 21700-69100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)
Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed Matriculation (10th) examination or equivalent with Science from a recognised board or equivalent ; and (ii) One year's experience as Telephone Operator in an Office or Hospital having a Telephone Exchange of at least 50 Line PBX systems with working knowledge of telephone line lying. Note.1- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate, otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	For Male		For Female
	Unexpanded	Expanded	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories.	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or
(ii) with three years regular service in level 2 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Commandant - Chairman Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

2. Deputy Commandant - Member Indo-Tibetan Border Police Force 3. Assistant Commandant - Member Indo-Tibetan Border Police Force (A senior Sub-Ordinate/Non-Commissioned Officer from Telecom Cadre will be associated as member/co-opted member).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. Constable (Masalchi)	10* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL -3 (Rs. 21700-69100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed Matriculation (10th) examination or equivalent from a recognised board or equivalent ; and (ii) One year's experience as Kitchen helper in a hotel of repute or Defence services Messes or Indo-Tibetan Border Police Officer messes. Note.1- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate, otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories.	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or

(ii) with three years regular service in level 2 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Medical Officer or Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. Constable (Peon)	14* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL -3 (Rs. 21700-69100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)
Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: Passed Matriculation (10th) examination or equivalent from a recognised board or equivalent. Note.1- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate, otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	For Male		For Female
	Unexpanded	Expanded	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or

(ii) with three years regular service in level 2 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Commandant - Chairman Indo-Tibetan Border Police Force 2. Deputy Commandant - Member Indo-Tibetan Border Police Force 3. Assistant Commandant - Member Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. Constable (Table Boy)	04* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL -3 (Rs. 21700-69100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)
Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed Matriculation (10th) examination or equivalent from a recognised Board or equivalent ; (ii) One year's experience in laying tables, cleaning of tables and serving food and water in the Defence services messes or Indo-Tibetan Border Police Officers mess or a hotel or restaurant. Note.1- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate, otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)
By deputation: (a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or (ii) with three years regular service in level 2 in the PAY matrix; and (b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application. Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission. For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment) The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Medical Officer or Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. Constable (Ward Boy/Girl/Ayah)	14* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	LEVEL -3 (Rs. 21700-69100) in the PAY MATRIX	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years, Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
1. Educational qualifications: (i) Passed Matriculation (10th) examination or equivalent from a recognised Board or equivalent ; (ii) Certificate of experience from hospitals preferably Government hospitals. Note.1- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate, otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 2. Physical Standard for male and female:	Not applicable.

(a) Height	**For Male**	**For Female**
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms

All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	**For Male**		**For Female**
	Unexpanded	**Expanded**	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States/ Union Territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical Standards:

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.

(9)	(10)
Two years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

By deputation:

(a) (i) Official in the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts; or

(ii) with three years regular service in level 2 in the pay matrix; and

(b) Having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer or Deputy Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Medical Officer or Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. I-12022/02/2014-Org.]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.10 12:09:37 +05'30'